न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 01/2023(GCMS : 2023/31)

पीरामल केपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड, 302/5 तृतीय तल, जयपुर टॉवर, एम.आई. रोड़, जयपुर, राजस्थान

बनाम

1. **अनिल बिश्नोई निवास पता** म.नं. 2/17ए, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, श्रीगंगानगर **सम्पत्ति पता** :– फ्लेट नं. 110 एलआईजी डी ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर ड्रीम होम्स, टॉयेटो शो रूम के पास, गंगानगर, जो श्रीमती अनुराधा के नाम से है।
2. **श्रीमती अनुरोधा,** निवास पता – म.नं. 2/17ए, हउसिंग बोर्ड कॉलोनी, श्रीगंगानगर

11.09.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता श्री खुशपिन्द्र सिंह ने वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 10.01.2023 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थी अनिल बिश्नोई एंव अनुराधा को ऋण सुविधा के रूप में राशि 7,61,293/– रूपये (अखरे रूपये सात लाख इक्सठ हजार दौ सौ तिरानवे मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृत दिनांक 20.06.2018 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी अनुराधा द्वारा** बंधक रखी अपनी **अचल मकान फ्लेट नं. 110 एलआईजी, डी ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लो**र, ड्रीम होम्स, टॉयेटो **शो रूम के पास, श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थी अनुराधा को 7,61,293/– रूपये (अखरे रूपये सात लाख इक्सठ हजार दो सौ तिरानवे मात्र)** के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 20.06.2018 को **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी अनुराधा **ने अपनी अचल सम्पत्ति मकान फ्लेट नं. 110 एलआईजी, डी ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर, ड्रीम होम्स, टॉयेटो शो रूम के पास, श्रीगंगानगर** [illegible] बैंक/कम्पनी के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक/कम्पनी के प्रार्थना [illegible] में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी [illegible] दिनांक 09.09.202[illegible] को **अनर्जक**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:12:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 21.10.2021** को जारी कर दिनांक 01.11.2021 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा **अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण **और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी अनुराधा की **अचल सम्पत्ति मकान फ्लेट नं. 110 एलआईजी, डी ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर, ड्रीम होम्स, टॉयेटो शो रूम के पास, श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 21.10.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 21.10.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अ**प्रार्थी को दिनांक 01.11.2021 को ही रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, जिसके** परिणामस्वरूप **अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:12:02 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पीरामल केपिटल एंड हासिंग फाइनेंस लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी **अनुराधा द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति मकान फ्लेट नं. 110 एलआईजी, डी ब्लॉक, ग्राउण्ड फ्लोर, ड्रीम होम्स, टॉयेटो शो रूम के पास, श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.09.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.10.12 12:12:02 IST
Reason: SelfAttested